सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 134 / 2018 अपील (RCMS/2018/00147)
पंजीयन दिनांक — 26.09.2018
निर्णय दिनांक — 05.11.2018

1. श्री नाथुलाल पिता श्री देवीलाल भोई, निवासी भोई मालियों का चौरा, गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
2. श्री तुलसीराम पिता श्री भंवरलाल भोई, निवासी भोई मालियों का चौरा, गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
3. श्री मांगीलाल पिता श्री नारूलाल भोई, निवासी भोई मालियों का चौरा, गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
4. श्री भागीरथ पिता श्री कुकचन्द भोई, निवासी भोई मालियों का चौरा, गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
5. श्री पन्नाला पिता श्री मांगीलाल भोई, निवासी भोई मालियों का चौरा, गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती तारा पुत्री श्री वेणीचन्द जैन पत्नि श्री चन्द्रेश फतावत, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती जसवन्ती पुत्री श्री वेणीचन्द जैन पत्नि श्री राजकुमार जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा हाल निवासी केशवनगर, आयड, उदयपुर।
3. श्री मीठालाल पिता श्री वेणीचन्द जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
4. श्री भगवतीलाल पिता श्री वेणीचन्द जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
5. श्री सुरेश पिता श्री वेणीचन्द जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

6. श्री महेश पिता श्री गणेशलाल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

7. श्री नरेश पिता श्री गणेशलाल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

8. श्री शरद पिता श्री गणेशलाल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

9. श्रीमती बदाम बाई बेवा श्री गणेशलाल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

10. श्रीमती मंजू पुत्री श्री गणेशलाल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

11. श्री मनोहरलाल पिता श्री तखतमल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

12. श्री धनराज पिता श्री तखतमल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

13. श्री महेन्द्र कुमार पिता श्री तखतमल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

14. श्रीमती मैना पुत्री श्री तखतमल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

15. श्रीमती पूर्णकला पुत्री श्री तखतमल जैन, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री गिरिजा शंकर मेहता – वकील अपीलान्टस्
2. श्री कुलदीप शर्मा व मनीष शर्मा – वकील रेस्पोडेंटस्

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, गोगुन्दा, प्रकरण संख्या 1/2018 दिनांक 27.06.2018

निर्णय

दिनांक 05.11.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, गोगुन्दा, प्रकरण संख्या 1/2018 दिनांक 27.06.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गिर्वा समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती तारा द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 भू–राजस्व अधिनियम के इस आशय से पेश किया कि उनके दादाजी के नाम जमाबन्दी मेवाड सेटलमेंट में साबिक आराजी नम्बर 1270 रकबा 0.2450 हेक्टेयर श्री मोडीलाल वल्द पन्नालाल महाजन के नाम दर्ज रेकर्ड थी जो वक्त हाल सेटलमेंट महादेवजी भोईयों का चौरा के नाम दर्ज की जाकर खातेदार का नाम हटा दिया गया। उक्त भूमि पर उनके दादाजी के वारिसान का कब्जा काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। उपरोक्त साबिक आराजी नम्बर 1270 की हाल आराजी नम्बर 5897 रकबा 0.2450 हेक्टेयर, जो उनके कब्जा काश्त है, उनके नाम से विधिक अधिकार स्वरूप दर्ज की जावें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 27.06.2018 से ग्राम गोगुन्दा की हाल आराजी नम्बर 5897 रकबा 0.2450 हेक्टेयर भूमि श्री मनोहरलाल, धनराज, महेन्द्रकुमार, मैना, पूर्णकला पिता तखतमल, श्री महेश, नरेश, शरद, मंजू माता बदाम बाई एवं मीठालाल, भगवतीलाल, सुरेश, जसवन्ती एवं तारा पिता वेणीचन्द के नाम खातेदारी अधिकार में दर्ज किये जाने का आदेश दिया।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 30.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि जमाबन्दी मेवाड सेटलमेंट सम्वत् 1999 में श्री महादेवजी भोईयों का चौरा सा. देह को साबिक आराजी संख्या 1270 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि का मालिक बताया गया है तथा उक्त आराजी बहैसियत मालिक महादेवजी भोईयों का चौरा के नाम दर्ज है। तत्पश्चात साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2025 में भी महादेवजी भोईयों का चौरा स्थान देह का भूमिधारी बताया गया है। हाल सेटलमेंट के पश्चात सम्वत् 2043 में भी खातेदार महादेवजी भोईयों का चौरा होकर व्यवस्थापक तखतमल, वेणीचन्द पिता मोडीलाल का

नाम दर्ज होकर उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत व्यवस्थापक पुजारियों के नाम जमाबन्दी से विलोपित कर दिये। राज्य सरकार के परिपत्रों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को केवल विलोपित हुए नामों का अंकन करने का अधिकार दिया है, न की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में धारा 136 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं अपने अधिकार क्षेत्रों से परे जाकर धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रदत अधिकार जो कि केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी को दिये है, का दुरूपयोग कर महादेवजी भोईयों का चौरा का नाम हटाकर उसकी जगह पर रेस्पोडेंटस् के नाम खातेदारी अधिकार की घोषणा कर दी जो काबिल निरस्त के है। धारा 136 के अन्तर्गत केवल मात्र अभिलेखिय शुद्विकरण किया जा सकता है लेकिन प्रथम पेमाईश से राजस्व रेकार्ड में अंकित महादेवजी स्थान देह खातेदार का नाम हटाकर न्यायालय द्वारा गलत तरिके से रेस्पोडेंट के नाम की घोषणा कर भारी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ अपील में विलम्ब के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2018 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया है एवं निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किया है– RRT 2011-12 P. 284, RRT 2002 P. 150, RRT 2002 (2) P. 783, RRT 2015 P. 450, RRT 2004(1) P. 342, RRT 2011 (1) P. 6.

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात भुमि संवत 2027 मे प्रार्थीगण के पूर्वज मोडीलाल पिता पन्नालाल महाजन के नाम खातेदारी में दर्ज थी। मोडीलाल के दो पुत्र श्री तखतमल एवं वेणीचन्द जैन थे। उक्त भूमि का उपयोग रेस्पोडेंट्स द्वारा उनके पूर्वजों के समय के निर्बाध रूप किया जा रहा है। बिना किसी विधिक आदेश के सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा देवस्थान महादेवजी भोईयों का चौरा के नाम दर्ज कर दी व खातेदारों के नाम हटा दिये जबकि सेटलेमेंट को उक्त परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं था। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं 25.11.2011 में इस प्रकार के प्रकरण जिनमें खातेदारी की भूमि जिनको सेटलमेंट विभाग द्वारा देवस्थान मूर्ति के नाम दर्ज कर दी है को अभियान चला कर धारा 136 में प्रकरण दर्ज करते हुए पुनः खातेदारों/ वारिसानों के नाम पर दर्ज करने के आदेश दिये है। सेटलमेंट विभाग द्वारा देवस्थान महादेवजी भोईयों का चौरा के नाम दर्ज कर दी व खातेदारों के नाम हटा दिये जिससे रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 का प्रस्तुत कर उसके एवं उसके परिवारजन (विधिक वारिसान) के नाम उक्त भूमि दर्ज किये जाने का अनुरोध किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ वांछित दस्तावेज, जमाबन्दी इत्यादि के तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई

जिनकी उचित व्याख्या करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आदेश पारित किया गया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा प्रकरण में पटवारी हल्का से कब्जें एवं विधिक वारिसान की जांच करवाई गई और निर्णय पारित किया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् ने अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2018 को यथावत रखे जाने बाबत अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा पटवारी हल्का से विधिक वारिसान की जांच करा मौका कब्जा रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार विवादित आराजीयात भुमि संवत 2027 मे प्रार्थीगण के पूर्वज मोडीलाल पिता पन्नालाल महाजन के नाम खातेदारी में दर्ज थी। मोडीलाल के दो पुत्र श्री तखतमल एवं वेणीचन्द जैन थे। उक्त भूमि का उपयोग रेस्पोडेंट्स द्वारा उनके पूर्वजों के समय के कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारों के नाम हटाकर उक्त भूमि महोदव जी भोईयों का चौरा के नाम दर्ज कर दी। पटवारी हल्का द्वारा यह भी रिपोर्ट की गई कि उक्त आराजी नम्बर 5897 रकबा 0.2450 हैक्टर भूमि को वर्तमान खातेदारों के बजाय प्रार्थीया एवं इनके वारिसान के नाम दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं 25.11.2011 में इस प्रकार के प्रकरण जिनमें खातेदारी की भूमि जिनको सेटलमेंट विभाग द्वारा देवस्थान मूर्ति के नाम दर्ज कर दी है को अभियान चला कर धारा 136 में प्रकरण दर्ज करते हुए पुनः खातेदारों/ वारिसानों के नाम पर दर्ज करने के आदेश दिये है। प्रकरण में उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारों के नाम हटाकर उक्त भूमि महोदव जी भोईयों का चौरा के नाम दर्ज कर दी। उक्त परिस्थितियों और तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा निर्णय दिनांक 27.06.2018 से ग्राम गोगुन्दा की हाल आराजी नम्बर 5897 रकबा 0.2450 हेक्टेयर भूमि श्री मनोहरलाल, धनराज, महेन्द्रकुमार, मैना, पूर्णकला पिता तखतमल, श्री महेश, नरेश, शरद, मंजू माता बदाम बाई एवं मीठालाल, भगवतीलाल, सुरेश, जसवन्ती एवं तारा पिता वेणीचन्द के नाम खातेदारी अधिकार में दर्ज किये जाने का आदेश दिया।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गोगुन्दा द्वारा प्रकरण में मौके की रिपोर्ट, विधिक वारिसान की जांच करा, राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गोगुन्दा का निर्णय दिनांक 27.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर